न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2022-103(GCMS2022-247)

1. भोमाराम पुत्र देवाराम जाट
2. लिछमणराम पुत्र देवाराम जाट
3. लिच्छु पुत्री देवाराम जाट
4. मगी पुत्री देवाराम जाट
5. धापु पुत्री देवाराम जाट
6. पुष्पा पुत्री देवाराम जाट
7. कमला पुत्री देवाराम जाट

सभी निवासीगण आमला,
तहसील लोहावट, जिला फलोदी

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. भैराराम पुत्र गुणेशाराम जाट
2. गैनाराम पुत्र आईदानराम जाट
3. किसनाराम पुत्र गेनाराम जाट
4. मोहनी पुत्री गेनाराम जाट
5. घमण्डाराम पुत्र गेनाराम जाट
6. कमला पुत्री गेनाराम जाट

(जरिये कुदरती वलिया माता लाधू पत्नी गेनाराम जाट)
सभी निवासीगण आमला,
तहसील लोहावट, जिला फलोदी

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 फरवरी 2022 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट राजस्व वाद संख्या 857/2020 भैराराम बनाम गैनाराम आदि

उपस्थित-

श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री गिरधरसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक

नि र्ण य

दिनांक : 21 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 857/2020 अनवान भैराराम बनाम गेनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 14 जून 2022 को प्रस्तुत की है। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया। एक अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत भी प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 472 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा वाके मौजा आमला के संबंध में प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 16 फरवरी 2022 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कथन किया कि देवाराम की खातेदारी में दर्ज वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि होने तथा अपीलाण्ट्स उक्त खातेदार देवाराम की जायन्दा पुत्रियां होने के कारण वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट्स को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

इसी प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स आलौच्य मामले में वादग्रस्त भूमि से हितबद्ध होने के कारण मामले में आवश्यक पक्षकार होते हुए भी अपीलाण्ट्स संख्या 3 से 7 को विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। इसके अलावा अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत कोई जानकारी विचारण न्यायालय अथवा अधिवक्ता द्वारा नहीं दिये जाने के कारण समुचित समय में अपीलाण्ट्स को विधिवत जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 30 मई 2022 को पटवारी हळका द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट्स को जानकारी दिये जाने पर दिनांक 31 मई 2022 को विचारण न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की नकल प्राप्त की गयी और जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी। अतः अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद शुमार की जावे।

गुणावगुण के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजी पूर्व खातेदार देवाराम से खरीद किया जाना जाहिर करते हुए दावा पेश किया गया, मगर अपीलाण्ट्स संख्या 3 से 7, जो देवाराम की जायन्दा पुत्रियॉ होकर वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं मामले में आवश्यक पक्षकार है,को मूल वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। दावा प्रस्तुत किये जाने के समय अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 नाबालिग थे, जिनकी कुदरती वलिया माता नोजी पत्नी देवाराम थी। वाद की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कार्यवाही में मात्र प्रतिवादी नोजी पत्नी देवाराम के ही सम्मनों की तामील हुई, अपीलाण्ट संख्या एक व दो के सम्मन की किसी प्रकार से तामील नहीं हुई। अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 की कुदरती वलिया माता नोजी पत्नी देवाराम का दिनांक 19 सितम्बर 2013 को देहान्त हो चुका था, इस कारण उक्त अपीलाण्ट संख्या एक व दो के खिलाफ दावा अबेट हो जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा मूल दावा जरिये डिकी कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय में दिनांक 08 फरवरी 2022 को अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पो. संख्या 2 से 6 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी, जबकि न्यायहित में अधिवक्ता की अनुपस्थिति में जबाबदावा हेतु कोस्ट लगायी जा सकती थी। मगर विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया और इकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए जल्दबाजी में दिनांक 14 फरवरी 2022 को वादी-रेस्पो. संख्या एक की साक्ष्य की जाकर दिनांक 16 फरवरी 2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अनावश्यक जल्दबाजी करते हुए एवं विधिक प्रावधानों तथा न्यायिक प्रकिया की पालना सुनिश्चित किये बिना ही पारित किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने 2024(1) आरआरटी 245 उद्धरित करते हुए आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और कथन किया कि वादी-रेस्पो. संख्या एक ने वादग्रस्त आराजी पूर्व खातेदारान देवाराम व गेनाराम पिसरान आईदानराम से जरिये पंजीवद्ध विकय विलेख दिनांक 30 अप्रेल 1993 को खरीक कर भौतिक कब्जा प्राप्त किया था और तब से अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। किन्तु वादी-रेस्पो. अनपढ ग्रामीण व्यक्ति होने के कारण उक्त पंजीबद्ध

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

विकय-विलेख के अनुसरण राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद नहीं करवा पाया। इसी दौरान देवाराम का देहान्त हो जाने से फौतेदगी म्युटेशन के जरिये राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि बाबत देवाराम वारिसान का नाम दर्ज कर दिया गया, जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए देवाराम के वारिसान द्वारा वादी-रेस्पो. संख्या एक को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने का प्रयास किया गया, तो राजस्व रिकार्ड बाबत वस्तुस्थिति की जानकारी होने पर अपने अधिकारों की रक्षार्थ वादी-रेस्पो. द्वारा विचारण न्यायालय में दावा पेश किया गया, जो जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी स्वीकार करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं की गयी है। वादी-रेस्पो. के पक्ष में पंजीबद्ध विकय विलेख विधिवत निष्पादित होने एवं भौतिक कब्जा सुपुर्द हो जाने से वादग्रस्त आराजी बाबत समग्र स्वत्व एवं अधिकार वक्त बेचान ही वादी-रेस्पो. को पक्ष में निहित हो चुके थे। ऐसी स्थिति में देवाराम के देहान्त के बाद उसके पक्ष में स्वीकृत फौतेदगी म्युटेशन प्रारम्भ से शून्य प्रभावी होने से अपीलाण्ट्स को कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होते है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि देवाराम की पत्नी नोजी एवं देवाराम की पुत्रियों द्वारा फौतेदगी म्युटेशन के जरिये वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज होने के बाद अपने हक प्रतिवादी भोमाराम के पक्ष में तर्क किये जा चुके है। इस कारण भी कि देवाराम की पत्नी नोजी एवं देवाराम की पुत्रियॉ वादग्रस्त भूमि से हितबद्ध पक्षकार नहीं मानी जा सकती है। विचारण न्यायालय के समक्ष समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद सन् 2007 से 2021 तक की दीर्घावधि में भी प्रतिवादी भोमाराम द्वारा कोई जबाब पेश नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में वर्तमान अपील स्तर पर इस संबंध में किसी प्रकार का आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रहता है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि आलौच्य अपील निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विलम्ब का कोई समुचित संतोषजनक कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अंत में अधिक्ता-रेस्पो. ने आलौच्य अपील मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एंव अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पंजीबद्ध विकय विलेख प्रदर्श पी-3 का अवलोकन करने पर विदित होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 472 कुल रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम आमला के पूर्व खातेदारान देवाराम व गेनाराम पिसरान आईदानराम जाट द्वारा विधिवत मूल्यवान प्रतिफल राशि रूपये दस हजार नकद प्राप्त कर दिनांक 30 अप्रेल 1993 को जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख भेराराम पुत्र गुणेशाराम जाट (वादी-रेस्पो. संख्या एक) के पक्ष में बेचान कर भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। उक्त पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 30 अप्रेल 1993 को आदिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय में विधिवत चुनौती दी जाकर अपास्त कराया जाना उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि उक्त पंजीबद्ध विकय-विलेख के आधार पर केता (वादी-रेस्पो. संख्या एक) को वादग्रस्त भूमि बाबत दिनांक 30 अप्रेल 1993 को ही विधिवत खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके थे।

मगर उक्त पंजीबद्ध विकय विलेख के अनुसरण में निर्धारित प्रकिया के अनुरूप म्युटेशन की कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अमल-दरामद नहीं होने के कारण उक्त बेचानसुदा भूमि विकेतागण देवाराम व गेनाराम पिसरान आईदानराम के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही, और इनमें से देवाराम का देहान्त होने पर उसके वारिसान पुत्रिया लिच्छु, मगी, थापू, पुष्पा,कमला व पत्नी नोजी द्वारा उक्त भूमि में अपने हक भोमाराम पुत्र देवाराम व लिछमणराम के पक्ष में त्याग कर दिये जाने से तदनुसार म्युटेशन संख्या 37 ग्राम आमला भोमाराम लिछमणराम पिसरान देवाराम के पक्ष में स्वीकृत किया गया और गेनाराम पुत्र आईदानराम का नाम पूर्वानुसार कायम रखा गया, जैसाकि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध म्युटेशन संख्या37 ग्राम आमला (प्रदर्श-1) व जमाबंदी ग्राम आमला संवत 2062-2065 (प्रदर्श-2) से प्रकट होता है। इन परिस्थितियों में वादग्रस्त आराजी बाबत प्रस्तुत मूल वाद में उक्त रिकार्डेड खातेदारान के अलावा अन्य किसी (यथा देवाराम की पुत्रियों आदि) को पक्षकार संयोजित किये जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है।

विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में देवाराम के दो नाबालिग पुत्रों भोमाराम व लिछमणराम पिसरान देवाराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता नोजी पत्नी देवाराम) एवं देवाराम की पत्नी नोजी बतौर प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 पक्षकार संयोजित किया गया है और इन प्रतिवादीगण की ओर से विचारण न्यायालय में अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा उपस्थित हुए है, जिनका दिनांक 03 दिसम्बर 2012 को प्रस्तुत वकालतनामा विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इन प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 (अपीलाण्ट संख्या 1 व 2) के समनों की तामील के संबंध में आलौच्य अपील में उठाया गया आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपील स्तर पर अपीलाण्ट द्वारा मु. नोजी का देहान्त 19 सितम्बर 2013 को होना जाहिर किया गया है मगर इस संबंध में कोई मृत्यु प्रमाण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, विचारण न्यायालय में इनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 08 फरवरी 2022 को प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किये जाने तक मु. नोजी का देहान्त हो जाने की सूचना स्वयं प्रतिवादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी। इसके अलावा अपीलाण्ट्स की ओर से ऐसा कोई ठोस तथ्य अथवा आधार पर प्रकट नहीं किया गया है जिससे कि वादी-रेस्पो. संख्या एक, (जो कि मृतका का पारिवारिक सदस्य अथवा रिश्तेदार होना प्रकट नहीं है) को मु. नोजी की मृत्यु हो जाने बाबत समुचित समय में होना माना जा सकें। यह भी इन परिस्थितियों में सीपीसी के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य वाद अबेट होना नहीं माना जा सकता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की ओर से उद्धरित नजीर 2024(1) आरआरटी 245 का अदालत हाजा सम्मान करती है, किन्तु तथ्यों की भिन्नता के कारण आलौच्य मामले में उक्त नजीर लागू नहीं होती है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं किये गये विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाते है जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 फरवरी 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. भैराराम पुत्र गुणेशाराम जाट
2. गैनाराम पुत्र आईदानराम जाट
3. किसनाराम पुत्र गेनाराम जाट
4. मोहनी पुत्री गेनाराम जाट
5. घमण्डाराम पुत्र गेनाराम जाट
6. कमला पुत्री गेनाराम जाट
   (जरिये कुदरती वलिया माता लाधू पत्नी गेनाराम जाट)

   सभी निवासीगण आमला,
   तहसील लोहावट, जिला फलोदी

ब

ना

म

रेस्पो.

1. भोमाराम पुत्र देवाराम जाट
2. लिछमणराम पुत्र देवाराम जाट
3. लिच्छु पुत्री देवाराम जाट
4. मगी पुत्री देवाराम जाट
5. धापु पुत्री देवाराम जाट
6. पुष्पा पुत्री देवाराम जाट
7. कमला पुत्री देवाराम जाट

   सभी निवासीगण आमला,
   तहसील लोहावट, जिला फलोदी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 फरवरी 2022 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट राजस्व वाद संख्या 857/2020 भैराराम बनाम गैनाराम आदि

दावा वावत

यह अपील बतारीख 21 जनवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट्रा एवं अधिवक्ता श्री गिरधारीसिंह मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं किये गये विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाते है जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 फरवरी 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। (खर्चा अपील हाजा का हस्व तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रुपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 21 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर